तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 06/2022 बअनवान पांधी खां का.मु. श्रीमती फाती वगै. बनाम सरकार	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म तामील में हुए
08.12.2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने आवेदन बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस के पूर्वज भूरे खां पुत्र भाऊ खां जागीरदार सिराई की खातेदारी भूमि जो खुद काश्त की है जो ग्राम नगराजा की संवत् 2012 की पर्चा खतौनी ग्राम नगराजा के समरी खसरा संख्या 47, 48, 49, 76, 77 में कुल रकबा 379.10 बीघा दर्ज है जिसकी पर्चा खतौनी पेश की गई तथा जब फाईनल सैटलमेंट हुआ तो अपीलांटस को केवल मात्र हाल खसरा संख्या 217, 238, 243, 239, 222, 230, 257 में कुल रकबा 252.03 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज करके पर्चा लगान दिया गया और इस तुलनात्मक रजिस्टर में जमीन कमी दर्ज करना स्वीकार किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी में रदोबदल करने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है यदि रेस्पोडेंटस अपने उदेश्य में सफल हो जाते है तो अपीलांटगण के दावे उदेश्य समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कोई हक नियत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो स्थगन आदेश साथ में पारित नहीं करे। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काश्त की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कोई हक पैदा नहीं होते है। मूल वाद के विचारण में रहते राजकीय भूमि पर स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया प्रथम दृष्टया पाया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

अपील प्राधिकारी
बाड़मेर